लैंगिक अंतराल को खत्म करना

लेखक- एंजेलिका एरिबम (राजनीतिक कार्यकर्त्ता और एनएसयूआई की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

18 अप्रैल, 2019

''महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित गंभीरता चुनावी प्रतिनिधित्व में दिखनी चाहिए थी।''

राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से अपने-अपने घोषणा पत्रों में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का वादा कर दिया है। हालांकि, प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद कोई भी कुछ मद्द नहीं कर सकता है लेकिन राष्ट्रीय दलों द्वारा मैदान में उतारी गई महिला उम्मीदवारों की कमी को जरूर नोटिस कर सकता है। 3 अप्रैल, 2019 तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः 13.7 प्रतिशत और 12 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है।

देखा जाये, तो इन राष्ट्रीय दलों से बेहतर तो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इन सब को पीछे छोड़ दिया है अर्थात् तृणमूल कांग्रेस ने 40 प्रतिशत से अधिक सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है और बीजू जनता दल ने महिलाओं के लिए 33.3 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया है।

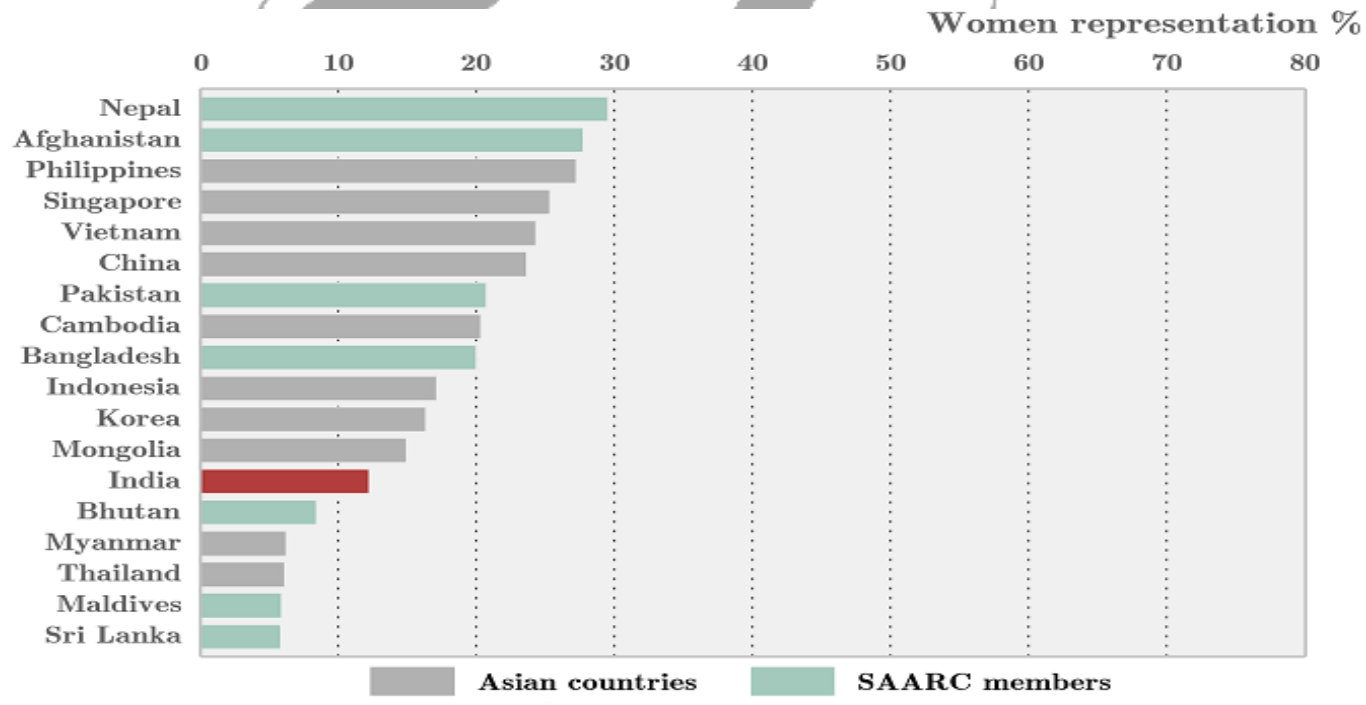

यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि राजनीतिक दल वाकई में महिला आरक्षण विधेयक के बारे में गंभीर हैं, तो अधिक महिलाओं को टिकट देकर इसकी शुरूआत क्यों नहीं कर रहे हैं? एक कट्टर नारीवादी के रूप में, जो वर्षों से राजनीति में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करती रही हैं, पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने (लेखक) एक सवाल बन कर सामने खड़ी हैं। वर्तमान में, भारत में संसद में 11.8 प्रतिशत महिलाएं हैं और राज्य विधानसभाओं में यह संख्या और भी अधिक निराशाजनक है। विश्व स्तर पर, पिछले दो दशकों में, 100 से अधिक देशों ने 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं के लिए विश्व सम्मेलन के बाद राजनीति में महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्य नीतियों की शुरुआत की है।

एक लैंगिक कोटा (gender quota) का सटीक लक्ष्य संसदों में और राज्य विधायी निकायों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लैंगिक कोटा के तीन रूप हैं जो दुनिया भर में व्यापक रूप से लागू होते हैं: A) निर्धारित आरक्षित सीटें, B) रोटेशनल आधार पर चुनावी कोटा, C) स्वैच्छिक राजनीतिक पार्टी कोटा। महिला आरक्षण विधेयक दूसरी श्रेणी में आता है जहाँ 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए एक रोटेशनल आधार पर आरक्षित होंगी। जो यह सुनिश्चित करेगा कि संसद और विधानसभाओं में कम से कम 33 प्रतिशत महिला सांसद और विधायक हों।

दूसरी ओर, स्वैच्छिक राजनीतिक पार्टी कोटा मॉडल आमतौर पर महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को सक्षम नहीं बना पाता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में स्थित देशों ने इस नीति को व्यापक रूप से अपनाया है उनकी संसदों में 20 प्रतिशत से कम महिलाएँ हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दल आम तौर पर गैर-जीत योग्य सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं, जो केवल कोटा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है।

अक्सर इन सीटों पर महिलाओं के पास कोई स्तर नहीं होता है। अध्ययनों से पता चला है कि पुरुष उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर महिला उम्मीदवारों को दाताओं से कम धन प्राप्त होता है। पितृसत्ता के कारण, महिला उम्मीदवार भी मतदाताओं द्वारा अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम सक्षम मानी जाती हैं। इन संयुक्त कारकों का परिणाम महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के अंतिम लक्ष्य को अप्रभावी बनाता है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई, National Students' Union of India] NSUI) में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छात्रों की शाखा, जिनमें से मैं (लेखक) पाँच साल के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी थी, में पार्टी के पदों के आंतरिक चुनाव के लिए लैंगिक कोटा है। हमने अक्सर महिलाओं के लिए आरक्षित सभी सीटों को भरना मुश्किल पाया है और ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि युवा महिलाओं को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि चुनौतियां इनके चुनाव लड़ने से जुड़ी हैं।

लैंगिक कोटा को क्षमता निर्माण के साथ पूरक होना चाहिए। महिला नेतृत्व को पोषित करने के लिए राजनीतिक दलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जब महिलाओं को उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में लाना एक दायित्व बन जाता है। रवांडा में भी ऐसा ही हुआ था। 1990 के दशक में, महिलाओं को संसद का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा ही मिल पाया था।

निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करने के लिए 2003 में एक संवैधानिक कानून लाया

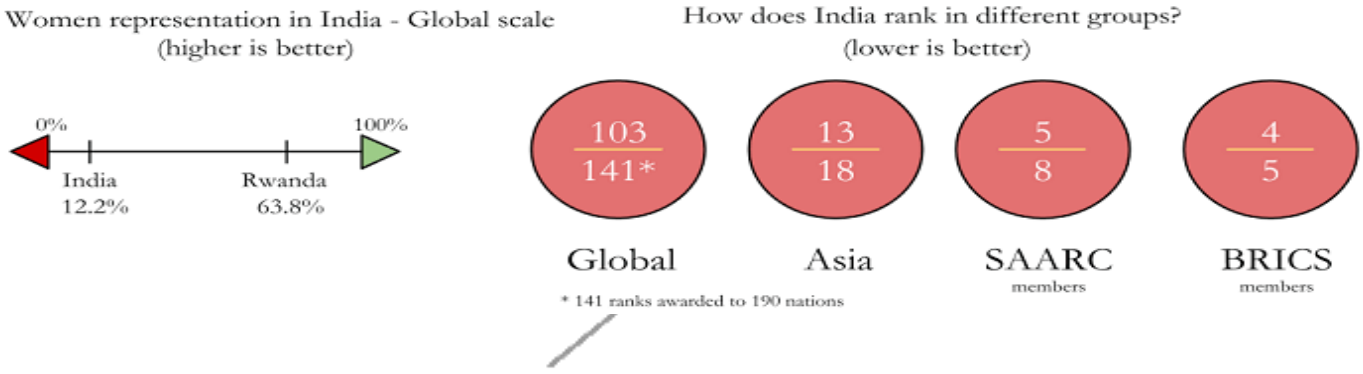

गया और उसी वर्ष हुए चुनावों में, लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं ने रवांडा संसद में अपनी जगह को सुनिश्चित किया। 2008 और 2013 के बाद हुए चुनावों में महिला सांसदों की संख्या 56 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है।

विभिन्न देशों के डेटा और जीवित अनुभवों के आधार पर, यह अनिवार्य हो जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। यह संवैधानिक संशोधन राजनीतिक दलों के लिए एक बाह्य हस्तक्षेप के रूप में कार्य करेगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली के भीतर लैंगिक समानता के लिए प्रयास किया जाएगा।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि भारत ने 73वें और 74वें संशोधन के बाद जमीनी स्तर पर अपने लैंगिक प्रतिनिधित्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मात्र 3-4 प्रतिशत से बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है।

इस तरह के बड़े पैमाने पर विकास संभव नहीं होता, अगर यह सिर्फ महिलाओं के लिए एक अंत:-पार्टी (intra-party) आरक्षण होता।

भारतीय लोकतंत्र को विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है। स्वैच्छिक राजनीतिक पार्टी कोटा छोटा दृष्टिकोण है जो शायद प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में मद्दगार साबित नहीं हो सकता है। इसलिए कम से कम 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द पारित करना है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इसे 2019 में नहीं पूरा किया गया, तो इसे फिर कब पूरा किया जायेगा?

GS World टीम...

महिला आरक्षण विधेयक, 2008

चर्चा में क्यों?

- 17वीं लोकसभा के लिये देश भर में आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से अपने-अपने घोषणा पत्रों में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का वादा कर दिया है।
- हालांकि, यहाँ समस्या यह है कि इस बार संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई चर्चा नहीं थी और न ही इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल ने कोई रुचि दिखाई है।
- महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 12 सितंबर, 1996 में संसद में पेश किया गया था। उस वक्त केंद्र में एच.डी देवगौड़ा की सरकार थी।

क्या है?

- महिला आरक्षण विधेयक, 2008 (108वाँ संविधान संशोधन विधेयक) को राज्यसभा ने 9 मार्च, 2010 को पारित किया था, लेकिन 9 साल बीतने के बाद भी यह लोकसभा से पारित नहीं हो पाया है।
- इस विधेयक में महिलाओं के लिये लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
- इसी 33 फीसदी में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं।
- जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्वत: बढ़ जाएगा, जैसा कि पंचायतों में देखने को मिलता है।
- 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों और शहरी निकायों में 1993 से 33% आरक्षण मिलता है।

वैश्विक आंकड़े

- क्षेत्रवार देखा जाए, तो नॉर्डिक (Nordic) देशों में महिला सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इनमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे स्कैंडीनेवियाई देशों के साथ फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो (Faroe) आइलैंड शामिल हैं।
- ब्रिटेन और अमेरिका में यह क्रमश: 32 और 23 प्रतिशत है।
- पाकिस्तान की स्थिति हमसे बेहतर है, वहाँ की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 20% है।
- संसद के निचले सदन (Lower House-भारत में लोकसभा) की बात है तो महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 193 देशों में 153वें स्थान पर है।
- अल्पविकसित अफ्रीकी देश रवांडा की संसद में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इंटर पार्लियामेंट यूनियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रवांडा के निचले सदन (The Chamber of Deputies) में 61% संख्या महिलाओं की है।
- रवांडा दुनिया का पहला देश है जिसकी संसद में महिलाएँ पुरुषों से अधिक हैं।

भारत की स्थिति?

- 2014 में हुए चुनावों में भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिये चुने गए 545 सदस्यों में 65 महिलाएँ चुनकर आईं, जो कुल संख्या का 12% है। यह लोकसभा का 16वाँ चुनाव था।
- आजादी के बाद केवल 15वीं और 16वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी देखने को मिली, जो इससे पहले 9% से कम रहती थी।
- उत्तर प्रदेश से महिला सांसदों का राष्ट्रीय औसत प्रतिनिधित्व 17.5% (14 सांसद) अपेक्षाकृत कुछ बेहतर है, जबकि महाराष्ट्र में यह केवल 12.5% (6 सांसद) और बिहार केवल 7.9% (3 सांसद) है।

- जबकि जनसंख्या के अनुसार राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का आवंटन होता है, ऐसे में देश की आधी आबादी (महिलाओं) का प्रतिनिधित्व मात्र 12 प्रतिशत है, जो कि बेहद कम है और इसमें निश्चित ही सुधार की आवश्यकता है।
- इसके विपरीत पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर शेष सात राज्यों- अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम से बहुत कम सांसदों को लोकसभा में जगह मिलती है। इसका एकमात्र कारण इन राज्यों में जनसंख्या बेहद कम होना है।
- सभी विधानसभाओं में महिला सदस्यों का राष्ट्रीय औसत केवल 9% है। इनमें बिहार, राजस्थान और हरियाणा विधानसभाओं में महिलाओं का 14% प्रतिनिधित्व है, जबकि पुदुचेरी और नागालैंड की विधानसभाओं में एक भी महिला सदस्य नहीं है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है।
- अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती।
- शिक्षा, संसाधनों/संपत्ति का स्वामित्व और रोजमर्रा के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों में होने वाली लैंगिक असमानताएँ महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती हैं।
- कार्यों और परिवार का दायित्व।
- राजनीति में रुचि का अभाव।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'महिला आरक्षण विधेयक, 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
2. इसी 33 प्रतिशत में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोकसभा में महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 153 वें स्थान पर है।
2. विश्व में नॉर्डिक देशों में महिला सांसदों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

1. Consider the following statements regarding Women Reservation Bill, 2008-

1. The Provision of 33 percent reservation in Lok Sabha and Legislative Assemblies is done for women in it.
2. The reservation of one third seats for scheduled castes and tribes from this 33 percent is to be done.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. Consider the following statements-

1. India stands at 153rd place in the percentage of women parliamentarian in Lok Sabha.
2. The percentage of women parliamentarian in nordic countries is highest in the world.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- भारत में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को खत्म करने में महिला आरक्षण विधेयक किस प्रकार कारगर साबित होगा? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. How will Women Representation Bill proved to be effective in tackling the challenges present in front of women in India? Discuss.

(250 Words)

नोट : 17 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।